

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 415/2024

अनवान : -

1. सीताराम पुत्र महिपत जाति मेघवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. भंवरलाल पुत्र नत्थुराम जाति मेघवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर।
2. रामलाल पुत्र बिडदुराम जाति मेघवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर।
3. रोशनी पत्नी सन्तलाल जाति मेघवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर।
4. फुसाराम पुत्र केशराराम जाति मेघवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर।
5. कालीराम पुत्र फुसाराम जाति मेघवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर।
6. मुकेशकुमार पुत्र बनवारीलाल जाति धाणक निवासी जबरासर तहसील नोहर।
7. राजबाला उर्फ राजी पत्नी बनवारीलाल जाति धाणक निवासी जबरासर तहसील नोहर।
8. धापी पत्नी नानकराम जाति मेघवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर-फौत
8/1. कान्ता पुत्री धापी पत्नी सुरेश कुमार साकिन जबरासर तहसील नोहर।
8/2. सुमन पुत्री धापी पत्नी सुरेश कुमार साकिन जबरासर तहसील नोहर।
9. पतराम पुत्र गणपत जाति नायक निवासी जबरासर तहसील नोहर।
10. प्रधानाध्यापक जरिये रा0बा0उ0मा0वि0 जबरासर तहसील नोहर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त0
अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: - 26/11/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 130/99 के ख0न0 545 की 33.18 बीघा, ख0न0 552 की 0.11 बिस्वा, ख0न0 553 की 61 बीघा, ख0न0 726 की 32 बीघा कुल 127.9 बीघा भूमि संयुक्त खाता में दर्ज थी। जिसके वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 मुश्तरका खातेदार काश्तकार थे। उक्त वाद भूमि का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर में खाता विभाजन बाबत वाद पेश किया गया। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तजबीज तकसीम रिपोर्ट ली गई। तजबीज तकसीम रिपोर्ट के आधार पर वाद वादी दिनांक 12.05.2014 को अन्तिम डिक्री किया गया।

वादी व प्रतिवादीगण की वाद भूमि अलग अलग जमाबंदी में दर्ज हो गयी। वाद भूमि ग्राम जबरासर के चिपती हुई भूमि है तथा वाद भूमि का नक्शा की तरमीम सही नहीं की गई। जिसके कारण वाद भूमि के रूपान्तरण करवाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है एवं वाद भूमि का नक्शा तरमीम सही करवाने हेतु माननीय तहसीलदार नोहर के प्रार्थना पत्र पेश किया गया था परन्तु अभी तक नक्शा तरमीम नहीं किया गया है। इसलिए वादी वाद भूमि का भौतिक कब्जा के अनुसार तरमीम करवा पाने का अधिकारी है।


रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 545 की 8.574 ~~हैक्ट~~ भूमि, ख0न0 552 की 0.239 हैक्ट, ख0न0 543 की 15.428 हैक्ट, ख0न0 726 की 0.886 हैक्ट, ख0न0 726/1 की

0.2530 हैक्ट, ख0न0 726/2.0240 हैक्ट, ख0न0 726/3 की 1.1390 हैक्ट, ख0न0 726/4 की 1.645 हैक्ट, ख0न0 726/5 की 0.253 हैक्ट, ख0न0 726/6 की 0.629 हैक्ट, ख0न0 727/7 की 0.633 हैक्ट, ख0न0 726/8 की 0.633 हैक्ट भूमि का नजरी नक्शा मौका की भौतिक स्थिति के अनुसार वादी तरमीम करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 10 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 11 पेशकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने आदेश 6 नियम 17 सीपीसी इस आशय का पेश किया जिस पर अधिवक्ता प्रतिवादीगण जिस पर अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा ऐतराज जाहिर नहीं करने के कारण स्वीकार किया गया। वादी द्वारा संशोधित दावा इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 545 की 8.574 हैक्ट भूमि, ख0न0 552 की 0.239 हैक्ट, ख0न0 543 की 15.428 हैक्ट, ख0न0 726 की 0.886 हैक्ट, ख0न0 726/1 की 0.2530 हैक्ट, ख0न0 726/2.0240 हैक्ट, ख0न0 726/3 की 1.1390 हैक्ट, ख0न0 726/4 की 1.645 हैक्ट, ख0न0 726/5 की 0.253 हैक्ट, ख0न0 726/6 की 0.629 हैक्ट, ख0न0 727/7 की 0.633 हैक्ट, ख0न0 726/8 की 0.633 हैक्ट भूमि का निम्नप्रकार से नजरी नक्शा संशोधित किया जावे— ख0न0 726/7 की 0.209 हैक्ट एवं ख0न0 726/12 की 0.420 हैक्ट कुल 0.629 हैक्ट भूमि धापी के पास रहेगी, ख0न0 726/8 की 0.600 हैक्ट बनवारी के पास रहेगी एवं मालीराम के हिस्सा से कम की जावे, ख0न0 726/1 की 0.253 हैक्ट भूमि रोशनी के पास रहेगी, ख0न0 726/4 की 0.855 हैक्ट, ख0न0 726/10 की 0.284 हैक्ट कुल 1.139 हैक्ट भूमि भंवरलाल के पास रहेगी इसमें से 0.636 हैक्ट खातेदारी एवं दक्षिण पासा की 0.0250 हैक्ट भूमि गै0मु0 रहेगी, ख0न0 726/5 की 1.234 हैक्ट, ख0न0 726/11 की 0.411 हैक्ट कुल 1.645 हैक्ट भूमि रामलाल के पास रहेगी, ख0न0 726/9 की 0.886 हैक्ट भूमि पतराम के पास रहेगी, ख0न0 1025/726 की 1.518 हैक्ट भूमि व ख0न0 1024/726 की 0.506 हैक्ट भूमि कुल 2.024 हैक्ट भूमि सीताराम के पास रहेगी, ख0न0 726/2 की 0.633 हैक्ट भूमि रा0उ0मा0वि0 के पास रहेगी, ख0न0 726/6 की 0.253 हैक्ट भूमि फुसाराम के पास रहेगी। इसी अनुसार वाद वादी डिक्री किया जावे। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा जबरासर सम्वत 2075-78 खाता स0 191, 377, 175, 503, 239, 229, 429, 270, 404, खसरा नक्शा रोही मौजा जबरासर, प्रमाणित प्रतिलिपी प्रकरण संख्या 96/2013 निर्णय दिनांक 22.03.2016 पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 130/99 के ख0न0 545 की 33.18 बीघा,


अपवकल अधिकारी
नोहर

ख0न0 552 की 0.11 बिस्वा, ख0न0 553 की 61 बीघा, ख0न0 726 की 32 बीघा कुल 127.9 बीघा भूमि संयुक्त खाता में दर्ज थी। जिसके वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 मुश्तरका खातेदार काश्तकार थे। उक्त वाद भूमि का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर में खाता विभाजन बाबत वाद पेश किया गया। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तजबीज तकसीम रिपोर्ट ली गई। तजबीज तकसीम रिपोर्ट के आधार पर वाद वादी दिनांक 12.05.2014 को अन्तिम डिक्री किया गया। अतः रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के ख0न0 726/7 की 0.209 हैक्ट एवं ख0न0 726/12 की 0.420 हैक्ट कुल 0.629 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 8/1 व 8/2 के पास बहिब रहेगी, ख0न0 726/8 की 0.600 हैक्ट बनवारी के पास रहेगी एवं मालीराम के हिस्सा से कम की जावे, ख0न0 726/1 की 0.253 हैक्ट भूमि रोशनी के पास रहेगी, ख0न0 726/4 की 0.855 हैक्ट, ख0न0 726/10 की 0.284 हैक्ट कुल 1.139 हैक्ट भूमि भंवरलाल के पास रहेगी इसमें से 0.636 हैक्ट खातेदारी एवं दक्षिण पासा की 0.0250 हैक्ट भूमि गै0मु0 रहेगी, ख0न0 726/5 की 1.234 हैक्ट, ख0न0 726/11 की 0.411 हैक्ट कुल 1.645 हैक्ट भूमि रामलाल के पास रहेगी, ख0न0 726/9 की 0.886 हैक्ट भूमि पतराम के पास रहेगी, ख0न0 1025/726 की 1.518 हैक्ट भूमि व ख0न0 1024/726 की 0.506 हैक्ट भूमि कुल 2.024 हैक्ट भूमि सीताराम के पास रहेगी, ख0न0 726/2 की 0.633 हैक्ट भूमि रा0उ0मा0वि0 के पास रहेगी, ख0न0 726/6 की 0.253 हैक्ट भूमि फुसाराम के पास रहेगी। इसी अनुसार वाद वादी डिक्री किया जावे। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम अलग अलग खाता में दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक उक्त वाद भूमि का पूर्व में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 22.03.2016 को निर्णय पारित किया गया है। मुताबिक निर्णय उक्त वाद भूमि की तरमीम नहीं हुई है। वादी का कथन है कि तरमीम सही नहीं हुई है अतः भौतिक कब्जा के आधार पर रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के ख0न0 726/7 की 0.209 हैक्ट एवं ख0न0 726/12 की 0.420 हैक्ट कुल 0.629 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 8/1 व 8/2 के पास बहिब रहेगी, ख0न0 726/8 की 0.600 हैक्ट बनवारी के पास रहेगी एवं मालीराम के हिस्सा से कम की जावे, ख0न0 726/1 की 0.253 हैक्ट भूमि रोशनी के पास रहेगी, ख0न0 726/4 की 0.855 हैक्ट, ख0न0 726/10 की 0.284 हैक्ट कुल 1.139 हैक्ट भूमि भंवरलाल के पास रहेगी इसमें से 0.636 हैक्ट खातेदारी एवं दक्षिण पासा की 0.0250 हैक्ट भूमि गै0मु0 रहेगी, ख0न0 726/5 की 1.234 हैक्ट, ख0न0 726/11 की 0.411 हैक्ट कुल 1.645 हैक्ट भूमि रामलाल के पास रहेगी, ख0न0 726/9 की 0.886 हैक्ट भूमि पतराम के पास रहेगी,

ख0न0 1025/726 की 1.518 हैक्ट भूमि व ख0न0 1024/726 की 0.506 हैक्ट भूमि कुल 2.024 हैक्ट भूमि सीताराम के पास रहेगी, ख0न0 726/2 की 0.633 हैक्ट भूमि रा0उ0मा0वि0 के पास रहेगी, ख0न0 726/6 की 0.253 हैक्ट भूमि फुसाराम के पास रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 को कोई एतराज नहीं है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के ख0न0 726/7 की 0.209 हैक्ट एवं ख0न0 726/12 की 0.420 हैक्ट कुल 0.629 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 8/1 व 8/2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, ख0न0 726/8 की 0.600 हैक्ट भूमि का बनवारी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, ख0न0 726/1 की 0.253 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, ख0न0 726/4 की 0.855 हैक्ट, ख0न0 726/10 की 0.284 हैक्ट कुल 1.139 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, इसमें से 0.636 हैक्ट भूमि खातेदारी एवं दक्षिण पासा की 0.250 हैक्ट भूमि गै0मु0 आवासीय रहेगी, ख0न0 726/5 की 1.234 हैक्ट, ख0न0 726/11 की 0.411 हैक्ट कुल 1.645 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, ख0न0 726/9 की 0.886 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 9 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, ख0न0 1025/726 की 1.518 हैक्ट भूमि व ख0न0 1024/726 की 0.506 हैक्ट भूमि कुल 2.024 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, ख0न0 726/2 की 0.633 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 10 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, ख0न0 726/6 की 0.253 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत रखते हुए तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ...26/11/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

al
(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 415/2024

अनवान : -

1. सीताराम पुत्र महिपत जाति मेघवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. भंवरलाल पुत्र नत्थुराम जाति मेघवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर।
2. रामलाल पुत्र बिडदुराम जाति मेघवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर।
3. रोशनी पत्नी सन्तलाल जाति मेघवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर।
4. फुसाराम पुत्र केशराराम जाति मेघवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर।
5. कालीराम पुत्र फुसाराम जाति मेघवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर।
6. मुकेशकुमार पुत्र बनवारीलाल जाति धाणक निवासी जबरासर तहसील नोहर।
7. राजबाला उर्फ राजी पत्नी बनवारीलाल जाति धाणक निवासी जबरासर तहसील नोहर।
8. धापी पत्नी नानकराम जाति मेघवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर।
9. पतराम पुत्र गणपत जाति नायक निवासी जबरासर तहसील नोहर।
10. प्रधानाध्यापक जरिये रा0बा0उ0मा0वि0 जबरासर तहसील नोहर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।


- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 415 सन 2024 निर्णय दिनांक - 26/11/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के ख0न0 726/7 की 0.209 हैक्ट एवं ख0न0 726/12 की 0.420 हैक्ट कुल 0.629 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 8/1 व 8/2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, ख0न0 726/8 की 0.600 हैक्ट भूमि का बनवारी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, ख0न0 726/1 की 0.253 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, ख0न0 726/4 की 0.855 हैक्ट, ख0न0 726/10 की 0.284 हैक्ट कुल 1.139 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, इसमें से 0.636 हैक्ट भूमि खातेदारी एवं दक्षिण पासा की 0.250 हैक्ट भूमि गै0मु0 आवासीय रहेगी, ख0न0 726/5 की 1.234 हैक्ट, ख0न0 726/11 की 0.411 हैक्ट कुल 1.645 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, ख0न0 726/9 की 0.886 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 9 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, ख0न0 1025/726 की 1.518 हैक्ट भूमि व ख0न0 1024/726 की 0.506 हैक्ट भूमि कुल 2.024 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, ख0न0 726/2 की 0.633 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 10 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, ख0न0 726/6 की 0.253 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत रखते हुए तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/11/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर